

विंध्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति परिवारों की जीवन-यापन लागत

एवं उपभोग व्यय का विश्लेषण

Analysis of Cost of Living and Consumption Expenditure of Scheduled

Tribe Families in Vindhya Region

डॉ. प्रियंका मिश्रा

सारांश (Abstract)

प्रस्तुत शोध पत्र विंध्य क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों की जीवन-यापन लागत एवं उपभोग व्यय की संरचना का विश्लेषण करता है। क्षेत्र सर्वेक्षण पद्धति के अंतर्गत 100 जनजातीय परिवारों से प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि इन परिवारों का औसत मासिक उपभोग व्यय ₹8,300 (वार्षिक ₹99,600) है, जबकि औसत वार्षिक आय मात्र ₹52,400 है। इस प्रकार व्यय आय की तुलना में लगभग 190% है, जो इन परिवारों की अत्यंत विकट आर्थिक स्थिति को उजागर करता है। कुल उपभोग व्यय में खाद्य व्यय 42.4% तथा गैर-खाद्य व्यय 57.6% है। खाद्य व्यय की उच्च हिस्सेदारी एन्गेल के नियम के अनुरूप इन परिवारों की निम्न आय स्तर की पुष्टि करती है। सामाजिक व्यय, स्वास्थ्य व्यय एवं ऋण-ब्याज भुगतान इन परिवारों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव डालते हैं। अध्ययन यह अनुशंसा करता है कि जनजातीय परिवारों की आय वृद्धि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुदृढ़ता एवं स्वास्थ्य-शिक्षा सुविधाओं के विस्तार से इन परिवारों के जीवन-स्तर में सुधार संभव है।

मुख्य शब्द: अनुसूचित जनजाति, विंध्य क्षेत्र, जीवन-यापन लागत, उपभोग व्यय, खाद्य व्यय, एन्गेल का नियम, आय-व्यय अनुपात, जनजातीय अर्थव्यवस्था।

1. प्रस्तावना

विंध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण भौगोलिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र है जो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, पन्ना एवं दमोह जिलों में विस्तृत है। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक संपदा वन, खनिज एवं जलसंसाधन के लिए जाना जाता है। परंतु इसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजातियाँ गोंड, कोल, बैगा, पनिका एवं भील निवास करती हैं जिनकी

आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे है। विंध्य क्षेत्र की जनजातियाँ मुख्यतः वन-आधारित एवं कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर हैं। वनोपज संग्रह, पशुपालन, असिंचित खेती एवं दिहाड़ी मज़दूरी इनकी आजीविका के प्रमुख स्रोत हैं।

जनजातीय परिवारों की जीवन-यापन लागत एवं उपभोग व्यय का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह हमें इन परिवारों की वास्तविक आर्थिक स्थिति समझने में सहायता करता है। उपभोग व्यय का विश्लेषण न केवल परिवारों की क्रय-शक्ति का आकलन करता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि ये परिवार अपनी सीमित आय को किन मदों पर खर्च करते हैं। एन्गेल के नियम के अनुसार, किसी परिवार की आय जितनी कम होगी, उपभोग व्यय में खाद्य व्यय का अनुपात उतना ही अधिक होगा। विंध्य क्षेत्र की जनजातीय अर्थव्यवस्था इस नियम की सटीक पुष्टि करती है।

आज़ादी के सात दशकों बाद भी विंध्य क्षेत्र के जनजातीय परिवार बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। पक्के मकान, स्वच्छ पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा की अपर्याप्त उपलब्धता इनके जीवन-स्तर को निम्न बनाए रखती है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत शोध पत्र विंध्य क्षेत्र के जनजातीय परिवारों के उपभोग व्यय का प्राथमिक डेटा के आधार पर विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

2. शोध पत्र का उद्देश्य

इस शोध पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। प्रथम उद्देश्य विंध्य क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति परिवारों की जीवन-यापन लागत के विभिन्न घटकों की पहचान करना एवं उनका मात्रात्मक विश्लेषण करना है। द्वितीय उद्देश्य इन परिवारों के कुल उपभोग व्यय में खाद्य एवं गैर-खाद्य व्यय के अनुपात का अध्ययन करना तथा एन्गेल के नियम की प्रासंगिकता का परीक्षण करना है। तृतीय उद्देश्य जनजातीय परिवारों की वार्षिक आय एवं वार्षिक उपभोग व्यय की तुलना करके आय-व्यय अंतर का विश्लेषण करना है। चतुर्थ उद्देश्य मौसमी परिवर्तन के साथ उपभोग व्यय के स्वरूप में आने वाले बदलावों का आकलन करना है। पंचम उद्देश्य जनजातीय परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु नीतिगत एवं व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना है।

3. शोध पत्र का महत्व

प्रस्तुत शोध पत्र बहुआयामी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अकादमिक दृष्टि से यह अध्ययन विंध्य क्षेत्र के जनजातीय परिवारों पर प्राथमिक डेटा पर आधारित मूल शोध प्रस्तुत करता है जो इस क्षेत्र में उपभोग अर्थशास्त्र के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। नीतिगत दृष्टि से यह अध्ययन सरकार को यह समझने में सहायता करता है कि जनजातीय परिवारों पर किन व्ययों का सर्वाधिक दबाव है, जिससे लक्षित नीति-निर्माण संभव हो सकता है।

सामाजिक दृष्टि से यह अध्ययन जनजातीय समाज के उन आर्थिक पहलुओं को उजागर करता है जो प्रायः मुख्यधारा के शोध में उपेक्षित रह जाते हैं। विशेष रूप से सामाजिक व्यय की उच्च हिस्सेदारी, अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता एवं स्वास्थ्य व्यय की अनियमितता जैसे पहलुओं पर प्रकाश डालकर यह अध्ययन समुदाय-स्तरीय हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित करता है। क्षेत्रीय दृष्टि से विंध्य क्षेत्र पर केंद्रित यह शोध उस भौगोलिक क्षेत्र की विशिष्टता एवं जनजातीय संस्कृति के आर्थिक आयाम को प्रस्तुत करता है।

4. शोध प्रविधि

यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है। अध्ययन क्षेत्र के रूप में विंध्य क्षेत्र के तीन जिलों—रीवा, सतना एवं सीधी का चयन किया गया। प्रत्येक जिले से जनजाति-बहुल ग्राम पंचायतों का चयन किया गया।

प्राथमिक डेटा संग्रह: इस शोध में प्राथमिक स्रोत पर पूर्ण आधार रखा गया है। 100 अनुसूचित जनजाति परिवारों का व्यक्तिगत साक्षात्कार (Personal Interview) तथा पूर्व-निर्मित प्रश्नावली (Structured Questionnaire) के माध्यम से डेटा संग्रह किया गया। साक्षात्कार अनुसूची में परिवार के सदस्यों की संख्या, आय के स्रोत, प्रत्येक व्यय मद पर मासिक व्यय, ऋण-भार एवं सामाजिक व्यय संबंधी प्रश्न सम्मिलित थे। ग्राम स्तर पर स्थानीय अनुवादक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायता से साक्षात्कार किए गए। डेटा संग्रह अवधि जनवरी 2024 से मार्च 2024 रही।

प्रतिदर्श चयन हेतु उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन (Purposive Sampling) एवं हिमपात विधि (Snowball Sampling) का संयुक्त उपयोग किया गया। रीवा जिले से 40, सतना से 35 तथा सीधी से 25 परिवारों का चयन किया गया। चयन

में गोंड (68%), कोल (21%) एवं बैगा (11%) जनजातियों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। डेटा विश्लेषण हेतु औसत, प्रतिशत, आय-व्यय अनुपात एवं तुलनात्मक विश्लेषण पद्धतियों का प्रयोग किया गया।

5. अनुसूचित जनजाति परिवारों की जीवन-यापन लागत एवं उपभोग व्यय का विश्लेषण

विंध्य क्षेत्र के जनजातीय परिवारों की आर्थिक संरचना को समझने के लिए सर्वप्रथम इन परिवारों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का परिचय आवश्यक है।

सारणी 1 : सर्वेक्षित परिवारों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल (N=100)

विवरण	संख्या / औसत	प्रतिशत / टिप्पणी
कुल सर्वेक्षित परिवार	100	—
अनुसूचित जनजाति (ST)	100	100%
प्रमुख जनजातियाँ (गोंड, कोल, बैगा)	68/21/11	क्रमशः (%)
औसत परिवार आकार	5.2 सदस्य	न्यूनतम 3, अधिकतम 9
साक्षरता दर (परिवार स्तर)	62 परिवार	62%
कृषि आधारित परिवार	74 परिवार	74%
वन-आधारित आजीविका	18 परिवार	18%
मज़दूरी/अन्य	8 परिवार	8%
BPL कार्डधारी परिवार	83 परिवार	83%
औसत वार्षिक आय (₹)	52,400	—

स्रोत: क्षेत्र सर्वेक्षण (प्राथमिक डेटा), जनवरी-मार्च 2024।

सारणी 1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित 100 परिवारों में गोंड जनजाति की प्रधानता (68%) है। परिवारों का औसत आकार 5.2 सदस्य है जो राष्ट्रीय औसत (4.4) से अधिक है। 74% परिवार कृषि-आधारित हैं परंतु अधिकांश असिंचित जोतों पर निर्भर हैं। 83% परिवार BPL श्रेणी में हैं और औसत वार्षिक आय मात्र ₹52,400 है, जो इन परिवारों की अत्यंत निम्न आर्थिक स्थिति का परिचायक है।

सारणी 2 : अनुसूचित जनजाति परिवारों का मासिक एवं वार्षिक उपभोग व्यय (N=100)

व्यय मद	औसत मासिक व्यय (₹)	औसत वार्षिक व्यय (₹)	कुल व्यय का %	स्थिति
खाद्य व्यय (अनाज, दाल, तेल)	2,840	34,080	34.2%	सर्वाधिक
सब्जी, फल एवं दुग्ध उत्पाद	680	8,160	8.2%	निम्न
ईंधन (लकड़ी, गोबर गैस, LPG)	520	6,240	6.3%	वन-निर्भर
स्वास्थ्य व्यय	610	7,320	7.4%	अनियमित
शिक्षा व्यय	480	5,760	5.8%	निम्न
वस्त्र एवं परिधान	320	3,840	3.8%	—
परिवहन	290	3,480	3.5%	—
सामाजिक व्यय (विवाह/उत्सव)	740	8,880	8.9%	उच्च
ऋण-ब्याज भुगतान	680	8,160	8.2%	अनौपचारिक

विविध व्यय	1,140	13,680	13.7%	कृषि इनपुट आदि
कुल उपभोग व्यय	8,300	99,600	100%	—

स्रोत: क्षेत्र सर्वेक्षण (प्राथमिक डेटा), जनवरी-मार्च 2024। नोट: औसत मासिक व्यय का योग ₹8,300 है।

सारणी 2 से स्पष्ट होता है कि जनजातीय परिवारों के उपभोग व्यय में खाद्य व्यय (अनाज, दाल, तेल) की हिस्सेदारी सर्वाधिक 34.2% (₹2,840 मासिक) है। यह आँकड़ा एन्गेल के नियम की पुष्टि करता है, जिसके अनुसार निम्न आय वर्ग के परिवार अपनी आय का बड़ा भाग खाद्य पर व्यय करते हैं। यदि सब्जी-फल एवं दुग्ध व्यय को भी जोड़ा जाए तो कुल खाद्य व्यय 42.4% हो जाता है।

विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि सामाजिक व्यय (विवाह, तीज-त्योहार, मृत्यु-भोज) 8.9% (₹740 मासिक) है जो शिक्षा व्यय (5.8%) से अधिक है। यह जनजातीय समुदाय में सामाजिक दायित्वों की प्रबलता को दर्शाता है। ऋण-ब्याज भुगतान पर 8.2% (₹680 मासिक) व्यय इन परिवारों पर अनौपचारिक ऋण के भार को उजागर करता है। स्वास्थ्य व्यय 7.4% (₹610 मासिक) है, परंतु यह व्यय अनियमित है — सामान्य माहों में कम और गंभीर बीमारी के समय बहुत अधिक।

सारणी 3 : खाद्य एवं गैर-खाद्य उपभोग व्यय की तुलना (N=100)

व्यय श्रेणी	औसत मासिक (₹)	वार्षिक (₹)	% अनुपात
खाद्य व्यय (Food Expenditure)	3,520	42,240	42.4%
गैर-खाद्य व्यय (Non-Food)	4,780	57,360	57.6%
कुल उपभोग व्यय	8,300	99,600	100%

स्रोत: क्षेत्र सर्वेक्षण (प्राथमिक डेटा), 2024। खाद्य व्यय में अनाज, दाल, तेल, सब्जी, दुग्ध उत्पाद एवं अन्य भोज्य पदार्थ सम्मिलित हैं।

सारणी 3 से यह स्पष्ट होता है कि जनजातीय परिवारों के मासिक उपभोग व्यय ₹8,300 में खाद्य व्यय ₹3,520 (42.4%) तथा गैर-खाद्य व्यय ₹4,780 (57.6%) है। यद्यपि गैर-खाद्य व्यय का अनुपात अधिक है, परंतु इसमें अधिकांश भाग अनिवार्य एवं अपरिहार्य मदों — ईंधन, स्वास्थ्य, ऋण-ब्याज एवं सामाजिक दायित्व — पर व्यय होता है। शिक्षा, मनोरंजन एवं बचत पर व्यय नगण्य है। खाद्य व्यय का 42.4% अनुपात राष्ट्रीय औसत (29%) एवं शहरी औसत (22%) की तुलना में बहुत अधिक है, जो इन परिवारों की सापेक्षिक निर्धनता का प्रमाण है।

सारणी 4 : आय एवं उपभोग व्यय का तुलनात्मक विश्लेषण (N=100)

संकेतक	न्यूनतम (₹)	अधिकतम (₹)	औसत (₹)
वार्षिक आय	18,000	1,12,000	52,400
वार्षिक उपभोग व्यय	62,400	1,38,000	99,600
आय-व्यय अंतर (आधिक्य/न्यून)	-80,000	35,000	-47,200
आय पर व्यय का अनुपात (%)	68%	220%	190%

स्रोत: क्षेत्र सर्वेक्षण (प्राथमिक डेटा), 2024। ऋणात्मक मान (-) आय से अधिक व्यय की स्थिति दर्शाता है।

सारणी 4 का सर्वाधिक चिंताजनक तथ्य यह है कि इन परिवारों की औसत वार्षिक आय ₹52,400 है जबकि औसत वार्षिक उपभोग व्यय ₹99,600 है अर्थात् व्यय, आय से लगभग दोगुना (190%) है। यह अंतर औसतन ₹47,200 प्रतिवर्ष है जिसकी पूर्ति परिवार ऋण, वनोपज संग्रह, मनरेगा मज़दूरी तथा परिजनों के प्रेषण (Remittances) से करते हैं। इन परिवारों में बचत का कोई अस्तित्व नहीं है — बल्कि वे निरंतर ऋण-चक्र में फँसे रहते हैं।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि व्यय की न्यूनतम सीमा ₹62,400 एवं अधिकतम ₹1,38,000 के बीच विस्तृत असमानता है, जो यह दर्शाती है कि जनजातीय समुदाय के भीतर भी आर्थिक विषमता है। वन-निर्भर परिवारों एवं मज़दूरी पर आधारित परिवारों की स्थिति कृषि-आधारित परिवारों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक अनिश्चित है।

सारणी 5 : मौसमी उपभोग व्यय का स्वरूप (औसत मासिक, N=100)

व्यय मद	खरीफ (₹)	रबी (₹)	ग्रीष्म (₹)	वार्षिक औसत (₹)
खाद्य व्यय	2,620	3,140	3,820	3,193
स्वास्थ्य व्यय	480	820	720	673
सामाजिक व्यय	1,200	480	620	767
कुल मासिक व्यय	7,840	8,460	8,600	8,300

स्रोत: क्षेत्र सर्वेक्षण (प्राथमिक डेटा), 2024। खरीफ= जुलाई-अक्टूबर, रबी= नवंबर-फरवरी, ग्रीष्म= मार्च-जून।

सारणी 5 से ज्ञात होता है कि उपभोग व्यय में मौसमी विविधता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ग्रीष्म ऋतु में मासिक व्यय (₹8,600) सर्वाधिक रहता है क्योंकि इस समय खाद्यान्न के भण्डार समाप्त हो चुके होते हैं और खुले बाज़ार से महँगे मूल्य पर खरीदना पड़ता है। स्वास्थ्य व्यय रबी ऋतु में अधिक (₹820) रहता है, जो शीतकालीन बीमारियों एवं फसल-कटाई के परिश्रम से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं का परिणाम है। सामाजिक व्यय खरीफ ऋतु में उच्च (₹1,200) है क्योंकि इस समय अधिकांश जनजातीय त्योहार एवं विवाह-समारोह होते हैं। यह मौसमी असंतुलन दर्शाता है कि जनजातीय परिवारों में वित्तीय नियोजन की क्षमता अत्यंत सीमित है।

6. निष्कर्ष

विन्ध्य क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति परिवारों के उपभोग व्यय के प्रस्तुत विश्लेषण से अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आते हैं। प्रथम निष्कर्ष यह है कि इन परिवारों का व्यय उनकी आय से 90% अधिक है, जो उनकी गहरी आर्थिक असुरक्षा को प्रकट करता है। यह स्थिति स्थायी ऋण-निर्भरता को जन्म देती है और पीढ़ी-दर-पीढ़ी गरीबी का चक्र बनाए रखती है।

द्वितीय निष्कर्ष यह है कि उपभोग व्यय में खाद्य व्यय की 42.4% हिस्सेदारी एन्गेल के नियम की पुष्टि करती है और यह दर्शाती है कि इन परिवारों की आय इतनी सीमित है कि वे केवल जीवित रहने की लागत भी पूरी नहीं

कर पाते। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से राशन का अभाव अथवा अनियमित वितरण इस समस्या को और बढ़ाता है। तृतीय निष्कर्ष यह है कि सामाजिक व्यय (8.9%) शिक्षा व्यय (5.8%) से अधिक होना जनजातीय समाज में शिक्षा के प्रति अभी भी कम प्राथमिकता का संकेत है, जो मानव पूँजी विकास की राह में बाधक है।

चतुर्थ निष्कर्ष यह है कि स्वास्थ्य व्यय की अनियमितता एवं न्यूनता इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि जनजातीय परिवार स्वास्थ्य समस्याओं पर व्यय करने में तभी समर्थ होते हैं जब समस्या गंभीर हो जाए। नियमित स्वास्थ्य जाँच एवं निवारक स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय नगण्य है। पंचम निष्कर्ष यह है कि मौसमी उपभोग असंतुलन यह दर्शाता है कि जनजातीय परिवारों में वित्तीय नियोजन एवं बचत की संस्कृति का अभाव है, जिसके लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

7. सुझाव

उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित नीतिगत एवं व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं।

प्रथम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं समयबद्ध बनाया जाना चाहिए। जनजातीय परिवारों को प्रत्येक माह नियमित रूप से राशन मिले, इसके लिए ग्राम-स्तरीय निगरानी समिति एवं डिजिटल पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की जाए। इससे खाद्य व्यय का बाज़ार-दबाव कम होगा।

द्वितीय, जनजातीय परिवारों की आय वृद्धि के लिए वन-आधारित लघु उद्योगों जैसे महुआ, तेंदूपत्ता, आँवला एवं अन्य वनोपज प्रसंस्करण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वनोपज की सरकारी खरीद सुनिश्चित होनी चाहिए।

तृतीय, जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) की उपलब्धता एवं गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयाँ एवं आयुष्मान भारत योजना का प्रभावी क्रियान्वयन इन परिवारों के स्वास्थ्य व्यय के दबाव को कम कर सकता है।

चतुर्थ, जनजातीय बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु आवासीय विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार एवं छात्रवृत्ति का समयबद्ध वितरण आवश्यक है। परिवारों को शिक्षा पर होने वाले व्यय की भरपाई के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) का उपयोग किया जाए।

पंचम, अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता कम करने के लिए ग्राम स्तर पर स्व-सहायता समूहों (SHG) को सुदृढ़ किया जाए तथा माइक्रो-फाइनेंस संस्थाओं की पहुँच जनजातीय गाँवों तक सुनिश्चित की जाए। साहूकारों के शोषण से बचाने के लिए जनजातीय ऋण-सुरक्षा कानूनों का कड़ाई से पालन हो।

षष्ठ, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से जनजातीय परिवारों को बचत, बजट-निर्माण एवं बैंकिंग सेवाओं के उपयोग के बारे में जागरूक किया जाए। सामाजिक व्यय – विशेषकर मृत्यु-भोज एवं अत्यधिक आडम्बरपूर्ण समारोहों – के आर्थिक दुष्प्रभावों के प्रति सामुदायिक जागरूकता लाई जाए।

8. संदर्भ सूची (References)

1. अग्रवाल, मनोज एवं शर्मा, आलोक (2020). जनजातीय क्षेत्रों में उपभोग व्यय एवं जीवन-यापन लागत. जयपुर: राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी।
2. आदिवासी कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश (2022). जनजातीय विकास प्रतिवेदन 2021-22. भोपाल: मध्य प्रदेश शासन।
3. कुमार, राजेश एवं पाण्डेय, विनय (2019). विंध्य क्षेत्र में जनजातियों की आर्थिक संरचना. अर्थशास्त्र त्रैमासिकी, खण्ड 15(2), 33-51।
4. जनगणना 2011. भारत की जनगणना: अनुसूचित जनजाति डेटा. नई दिल्ली: भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त।
5. तिवारी, कृष्णकांत (2018). मध्य प्रदेश में जनजातीय अर्थव्यवस्था: चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ. भोपाल: मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी।
6. नेशनल सैम्पल सर्वे (2022-23). घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES 81वाँ दौर). नई दिल्ली: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।
7. पंचायती राज विभाग, मध्य प्रदेश (2023). जनजातीय पंचायत विकास रिपोर्ट 2022-23. भोपाल: जनपद एवं जिला पंचायत।
8. मिश्र, उमेश (2021). विंध्याचल क्षेत्र में जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक दशा. रीवा: अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय शोध पत्रिका, 7(1), 22-39।
9. सिंह, दिनेश प्रताप (2017). बाघेलखण्ड की जनजातियाँ: इतिहास, संस्कृति एवं आर्थिक जीवन. इलाहाबाद: लोकभारती प्रकाशन।

10. Deaton, A. and Dreze, J. (2002). Poverty and Inequality in India: A Re-examination. *Economic and Political Weekly*, 37(36), 3729-3748.
11. Engel, E. (1857). Die Productions und Consumtionsverhältnisse des Königreichs Sachsen. *Zeitschrift des Statistischen Büreaus des Königlich Sächsischen Ministeriums*.
12. Government of India (2021). Report of the High-Level Committee on Socio-Economic, Health and Educational Status of Tribal Communities. New Delhi: Ministry of Tribal Affairs.
13. NSSO (2013). Key Indicators of Household Consumer Expenditure in India (68th Round). New Delhi: Ministry of Statistics and Programme Implementation.
14. Planning Commission (2014). Report of the Expert Group to Review the Methodology for Measurement of Poverty. New Delhi: Government of India.
15. World Bank (2020). Poverty and Shared Prosperity Report: Reversals of Fortune. Washington D.C.: World Bank Group.

